

## 37698 - महिला का मस्जिद में एतिकाफ करना

---

### प्रश्न

क्या महिला के लिए रमज़ान के अंतिम दस दिनों में एतिकाफ़ करना जायज़ है ?

### विस्तृत उत्तर

जी हाँ, महिला के लिए रमज़ान के अंतिम दस दिनों में एतिकाफ़ करना जायज़ है।

बल्कि एतिकाफ़ पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सुन्नत है, तथा मोमिनों की माताएं (नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पवित्र पत्नियाँ) रज़ियल्लाहु अन्हुन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ आपके जीवन में एतिकाफ़ करती थीं, इसी तरह उन्होंने ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मृत्यु के बाद भी एतिकाफ़ किया।

बुखारी (हदीस संख्या : 2026) और मुस्लिम (हदीस संख्या : 1172) ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पत्नी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रमज़ान के अंतिम दहे का एतिकाफ़ करते थे यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको मृत्यु दे दी। फिर आपके बाद आपकी पत्नियों ने एतिकाफ़ किया।''

''औनुल माबूद'' में फरमाया :

इसके अंदर इस बात की दलील है कि एतिकाफ़ के अंदर औरतें, पुरुषों के समान हैं।'' अंत हुआ।

शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ रहिमहुल्लाह ने फरमाया :

''एतिकाफ़ करना पुरुषों और महिलाओं के लिए सुन्नत है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से साबित है कि वह रमज़ान में एतिकाफ़ किया करते थे, और अंत में आपका एतिकाफ़ अंतिम दस दिनों में स्थिर हो गया, तथा आपकी कुछ पत्नियाँ भी आपके साथ एतिकाफ़ करती थीं। फिर उन्होंने ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के निधन के बाद एतिकाफ़ किया। और एतिकाफ़ का स्थान वे मस्जिदें हैं जिनमें जमाअत की नमाज़ क़ायम की जाती है।'' इन्टरनेट पर शैख इब्ने बाज की साइट से समाप्त हुआ।